प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं......229/22 दिनांक 10/06/2022

2.--(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7,7ए............
(2) अधिनियम..........भा0द0स0 धारायें ..... 120 बी0....................
(3) अधिनियम......................... धारायें.......................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.--(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या............184..............समय..............6:40 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :– गुरूवार, दिनांक 09.06.2022, समय 4.30 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 08.06.2022, समय 2.15 पीए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5--घटनास्थल :--
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब उत्तर 25 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता–निवाई झिलाई रोड (जयपुर नैत्र चिकित्सालय के पास) निवाई जिला टोंक...बीट सं....जरायमदेही सं........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला...............

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री रामकिशोर मीणा पुत्र श्री रत्तिराम मीणा उम्र 55 साल निवासी विजयपुरा पोस्ट रजवास तहसील निवाई जिला टोंक**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– मजदुरी / खेती ।

7.– ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री जितेन्द्र बैरवा पुत्र श्री प्रहलाद बैरवा उम्र 37 साल निवासी मजदूर बस्ती, वनस्थली विद्यापीठ निवाई जिला टोंक, हाल पटवारी पटवार हल्का पहाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक**
2. **श्री ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री शिवदास सिंह ग्राम पोस्ट शिवाड़ तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल नायब तहसीलदार कार्यालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 60,000 / – रूपये

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 60,000 / –रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक राज.

विषय :-- रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं रामकिशोर मीणा पुत्र श्री रत्तिराम मीणा उम्र 55 साल निवासी विजयपुरा पोस्ट रजवास तहसील निवाई जिला टोंक का निवासी हुं। मैनें ग्राम बरथल पटवार हल्का पहाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक के खसरा संख्या 382 / 1 में मेरी पुत्री सम्पत व नमोक के नाम

से वर्ष 2018 में 2 बीघा जमीन खरीदी थी, उक्त जमीन मेरी पुत्रियों के अलावा और भी खातेदार है, परन्तु जमीन का बंटवारा (तकासमा) नहीं हो रखा है, जिसके लिए सहायक कलेक्टर निवाई में एक दावा कमला बनाम नारायण दर्ज चल रहा है, जिसमें हमारे जमीन का बंटवारा कर पी0डी0 रिपोर्ट चाही गयी थी, हमारे हल्का पटवारी श्री जितेन्द्र बैरवा ने हमारे से एक लाख रूपये लेकर हमारी जमीन की मौका मुआयना कर पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर बंटवारा करवाने हेतु रिपोर्ट सहायक कलेक्टर निवाई को भिजवा दी, परन्तु अभी तक भी हमारी जमीन के बटवारें के सम्बन्ध में डिग्री जारी नहीं हुयी, अनावश्यक तारीख पर तारीख दी जा रही है। जब मैनें इस सम्बन्ध में जितेन्द्र पटवारी से बात की तो उसने कहा कि सहायक कलेक्टर निवाई तथा नायब तहसीदार निवाई को एक लाख रूपये ओर देने पड़ेगे तब तुम्हारा काम होगा, वरना वैसे ही फिरते रहोंगे। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। इससे मेरा कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है एवं नाही कोई आपसी रंजिश है।

प्रार्थी
रामकिशोर मीणा पुत्र श्री रत्तिराम मीणा उम्र 55 साल निवासी
विजयपुरा पोस्ट रजवास तहसील निवाई जिला टोंक मो0न0
9610687174

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 08.06.2022 समय 2.15 पी0एम0 पर परिवादी रामकिशोर मीणा पुत्र श्री रत्तिराम मीणा उम्र 55 साल निवासी विजयपुरा पोस्ट रजवास तहसील निवाई जिला टोंक ने पर उपस्थित कार्यालय होकर मन् राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैनें ग्राम बरथल पटवार हल्का पहाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक के खसरा संख्या 382/1 में मेरी पुत्री सम्पत व नमोक के नाम से वर्ष 2018 में 2 बीघा जमीन खरीदी थी, उक्त जमीन मेरी पुत्रियों के अलावा और भी खातेदार है, परन्तु जमीन का बंटवारा (तकासमा) नहीं हो रखा है, जिसके लिए सहायक कलेक्टर निवाई में एक दावा कमला बनाम नारायण दर्ज चल रहा है, जिसमें हमारे जमीन का बंटवारा कर पी0डी0 रिपोर्ट चाही गयी थी, हमारे हल्का पटवारी श्री जितेन्द्र बैरवा ने हमारे से एक लाख रूपये लेकर हमारी जमीन की मौका मुआयना कर पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर बंटवारा करवाने हेतु रिपोर्ट सहायक कलेक्टर निवाई को भिजवा दी, परन्तु अभी तक भी हमारी जमीन के बटवारें के सम्बन्ध में डिग्री जारी नहीं हुयी, अनावश्यक तारीख पर तारीख दी जा रही है। जब मैनें इस सम्बन्ध में जितेन्द्र पटवारी से बात की तो उसने कहा कि सहायक कलेक्टर निवाई तथा नायब तहसीदार निवाई को एक लाख रूपये ओर देने पड़ेगे तब तुम्हारा काम होगा, वरना वैसे ही फिरते रहोंगे। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। इससे मेरा कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है एवं नाही कोई आपसी रंजिश है।" प्रार्थना पत्र परिवादी रामकिशोर को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में लिखा होकर स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "मैं खेती–बाड़ी का काम करता हुं, मैनें ग्राम बरथल पटवार हल्का पहाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक के खसरा संख्या 382/1 में मेरी पुत्री सम्पत व नमोक के नाम से वर्ष 2018 में 2 बीघा जमीन खरीदी थी, उक्त कुल जमीन 11 बीघा 6 बिस्वा है, जिसमें और भी खातेदार है, सभी खातेदारों के हिस्से का बंटवारा नहीं हो रखा है, जमीन में हिस्सेदारों के बंटवारे के सम्बन्ध में खातेदार कमला बनाम नारायण ने सहायक कलेक्टर निवाई में एक दावा दर्ज करवाया था। उक्त जमीन के बंटवारे हेतु वादी तथा प्रतिवादी सभी ने अपनी सहमति दे दी है। सम्बन्धित पटवारी श्री जितेन्द्र बैरवा ने भी हमारे से एक लाख रूपये लेकर जमीन का मौका मुआयना कर पी0डी0 रिपोर्ट सहायक कलेक्टर निवाई को भेज दी है, परन्तु फिर भी सहायक जिला कलेक्टर निवाई से जमीन के सम्बन्ध में निर्णय (डिग्री) नहीं हो रही है। डिग्री के सम्बन्ध में मैनें सहायक कलेक्टर निवाई के कार्यालय में जाकर पता किया तो वहां पर कोई भी सन्तोषप्रद जवाब नहीं देता है। मैनें उक्त बात जब जितेन्द्र जी पटवारी को बताई तो उन्होनें कहा कि नीलम मीणा, सहायक कलेक्टर निवाई को एक लाख रूपये देने पड़ेगे, तभी तुम्हारे मामले में निर्णय (डिग्री) होगा, वरना तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। जितेन्द्र पटवारी, ओमप्रकाश सिंह नायब तहसीलदार तथा नीलम मीणा सहायक कलेक्टर निवाई आपस में

मिलीभगत कर हमें परेशान कर रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। परिवादी ने खसरा संख्या 381/2 रकबा 11.06 भूमि की नकल जमाबन्दी की प्रति, एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "मैं आज ही पटवारी से मिलकर रिश्वत के सम्बन्ध में बात करूंगा। अतः कानि0 जलसिंह को तलबकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा कानि0 को वॉयस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु परिवादी के साथ निवाई रवाना किया गया। **समय 5.30 पी0एम0 पर** परिवादी श्री रामकिशोर एवं कानि0 जलसिंह उपस्थित कार्यालय आये, कानि0 ने वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने बताया कि "एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर मैं व जलसिंह जी कानि0 रेल्वे फाटक निवाई पहुंचे, जहां पर जलसिंह जी ने वॉयस रिकार्डर चालू करके मुझे दे दिया तथा खुद वही बाहर की तरफ ही रूक गये, मैं वहां से रवाना होकर तहसील गेट निवाई के बाहर चाय की थड़ी पर पहुंचा, थोड़ी देर में श्री जितेन्द्र पटवारी भी वहीं आ गया, जिसको मैनें मेरे काम के बारें में बताया तो पटवारी मेरे से नाराज हो गया तथा कहा कि तुने पहले भी मेरी बात नहीं रखी, तुने फैसले के लिए मैडम को एक लाख रूपये नहीं दिये, तेरे चक्कर मैं मैडम (एसीएम निवाई) मेरे से नाराज हो गयी, अब मैं पुनः मैडम से बात करके ही तेरे को बताउंगा। पटवारी ने पी0डी0 रिपोर्ट बनाने के एवज में मेरे से लिए एक लाख रूपये की भी हां कर ली है। पटवारी जी के मामाजी के परिवार में कोई विवाद हो जाने से वह अभी जल्दी में थे, शाम को मैडम (एसीएम निवाई) से वार्ता करके कल सुबह मुझे बतायेगें। उक्त समस्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है। इसके बाद मैंने वापस आकर वॉयस रिकार्डर जलसिंह जी को दे दिया, जिन्होनें वॉयस रिकार्डर बन्द कर अपने पास रख लिया तथा वहां से रवाना होकर इस समय यहां आये है।" कानि0 जलसिंह ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुयी। परिवादी ने बताया कि जितेन्द्र पटवारी आज शाम को एसीएम मैडम से बात करेगा तथा कल सुबह मुझे मिलने के लिए बुलाया है।" अतः समय 6.30 पी0एम0 पर परिवादी को आवश्यक समझाईस कर रूख्सत किया गया। दिनांक 09.06.2022 समय 7.30 ए0एम0 पर कानि0 जलसिंह को परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाने हेतु वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक समझाईस कर निवाई रवाना किया गया। समय 10.30 ए0एम0 पर कानि0 जलसिंह उपस्थित कार्यालय आया तथा वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "मैं एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर निवाई पहुचां, एवं परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर उससे मिलकर मैं व परिवादी पटवारी के रेल्वे स्टेशन निवाई के पास स्थित मकान के पास पहुंचे, जहां पर मैनें मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी को वॉयस रिकार्डर चालू करके दे दिया। परिवादी रवाना होकर पटवारी के घर पर गया, परन्तु पटवारी घर पर नहीं मिला, परिवादी ने जरिये मोबाईल पटवारी से पूछा तो पटवारी ने स्वयं को जयपुर रोड़ जमात की तरफ सुबह की सेर हेतु आना बताया तथा परिवादी को भी उधर ही बुला लिया, जिस पर मैं तथा परिवादी वहां से रवाना होकर जमात (जयपुर रोड़) पहुंचे, मैनें वॉयस रिकार्डर चालूकर परिवादी को दे दिया, थोड़ी देर बाद पटवारी आया तथा पेट्रोल पम्प के पास स्थित चाय की थड़ी पर परिवादी से मिला। परिवादी ने पटवारी से मांग सत्यापन के सम्बन्ध में वार्ता की, जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी। पटवारी के निकल जाने के बाद परिवादी ने वॉयस रिकार्डर लाकर मुझे दिया, जिसको मैनें बन्द कर अपने पास रख लिया। परिवादी रामकिशोर ने मुझे बताया कि "पटवारी से वार्ता हो गयी है, पटवारी ने डिग्री जारी करवाने की एवज में एसीएम निवाई के लिए 1 लाख 50 हजार रूपये की मांग की है, उक्त वार्ता वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है।" इसके पश्चात् निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर एसीबी कार्यालय टोंक में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर मैं आया हुं।" कानि0 द्वारा प्रस्तुत वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो मांग सत्यापन होना पाया गया। समय 12.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री रामकिशोर उपस्थित कार्यालय आया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से प्रमुख चिकित्सा

अधिकारी सहादत अस्पताल, टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब किये गये, जिस पर समय 12.40 पी0एम0 पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाह 1—श्री राजकुमार सोनी कनिष्ठ सहायक, सहादत अस्पताल टोंक एवं 2— परवीन शेख नर्सिंग ऑफिसर सहादत अस्पताल टोंक उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 08.06.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य—मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 1.05 पी0एम0 पर परिवादी रामकिशोर को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500—500 रूपये के 12 नोट, एवं 200—200 रूपये के 270 नोट कुल 60,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी ने बताया कि आरोपी ने मेरे से 1,50,000 रूपये की मांग की है, परन्तु मेरे पास 60 हजार रूपये की ही व्यवस्था हो सकी है। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटों के तीन बण्डल बनाकर प्रत्येक बण्डल के उपर व नीचे के तरफ 2—2 नोट 500—500 रूपये के एवं बीच में 200—200 रूपये के 90 नोट रखे गये तथा उक्त नोटों के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री गणेश सिंह कानि0 चालक 375 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 60 हजार रूपये को अखबार (टोंक भास्कर दिनांक 17.05.2022) में लपेटकर एक थैली में रखकर आरोपी को देने के लिए परिवादी के शरीर पर पहने हुयी कुर्ते की दाहिनी जेब में कोई शेष नहीं छोडते हुए गणेश सिंह कानि से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी रामकिशोर को रिश्वत लेन—देन का ईशारा अपने गले में पड़ी हुयी साफी (तौलिया) को सिर पर बांधने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 3.25 पी0एम0 पर परिवादी श्री रामकिशोर एवं जलसिह कानि0 160 को परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री मोहम्मद जुनैद है0का0 32, मनोज कुमार है0का0 119, ईश्वर प्रकाश कानि0 256, महेश कुमार कानि0 17, अजीत सिंह कानि0 56 एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, वॉयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) के प्राईवेट वाहन से निवाई के लिए रवाना होकर **समय 4.21 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के निवाई कस्बे से पहले पहुंचा, जहां पर लेन—देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कानि0 जलसिंह से वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को दिलवाया गया तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर आरोपी से मिलने हेतु मोटर साईकिल से रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान के अपनी—अपनी उपस्थिति छिपाते हुये प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे—पीछे निर्धारित ईशारे हेतु रवाना हुये। समय 4.26 पी0एम0 पर परिवादी रवाना होकर निवाई से झिलाई जाने वाले रास्ते पर जयपुर नैत्र चिकित्सालय के पास पहुंचा, जहां पर एक सफेद रंग की** वोक्स वेगन पोलो आरजे 14 एलसी 0622 **कार खड़ी दिखी, परिवादी मोटर साईकिल से उतरकर उक्त कार के पास पहुंचा तथा उसमें बैठे हुये व्यक्ति से वार्ता करने लगा, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपनी—अपनी उपस्थिति छिपाते हुये, परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये।** समय 4.30 पीएम पर परिवादी श्री रामकिशोर ने अपने सिर पर साफी (तौलिया) बांधकर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी की गाड़ी के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये, गाड़ी में बैठे हुये व्यक्ति की और ईशारा करते हुये बताया कि **"यही** जितेन्द्र **जी पटवारी है, जिन्होनें अभी—अभी मेरे से 1,50,000 रूपये समझकर 60,000 रूपये प्राप्त** किये है।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जितेन्द्र बैरवा पुत्र श्री प्रहलाद बैरवा उम्र 37 साल निवासी मजदूर बस्ती, वनस्थली विद्यापीठ निवाई जिला टोंक, हाल पटवारी पटवार हल्का पहाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक होना बताया।" उक्त व्यक्ति को परिवादी से प्राप्त की गयी

रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा गया तो वह घबरा गया तथा फिर बोला कि "मेरा इस राशि से कोई लेना देना नहीं है, रामकिशोर की जमीन का तकासमा होना है, जिसके लिए इन्होनें एसीएम कोर्ट में दावा कर रखा है, जिसमें करीब एक माह पूर्व मेरे द्वारा पीडी रिपोर्ट तैयार कर भिजवायी जा चुकी है, लेकिन इनके दावे में अभी तक निर्णय (डिग्री) नहीं हुयी है, इनके निवेदन करने पर मैनें इनकी डिग्री जारी करवाने के लिए श्री ओमप्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार निवाई जिला टोंक से वार्ता की तो उन्होनें एसीएम मैडम से फैसला करवाने की एवज में 1,50,000 रूपये की मांग की थी। जिस पर मैनें अभी इनसे उक्त राशि प्राप्त की है, जो मेरी गाड़ी के डेस्कबोर्ड में रखी है। मैं यह राशि ओमप्रकाश जी नायब साहब को ही देने जा रहा था।" जिस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि "पटवारी जी सही कह रहे है हमने हमारी जमीन का तकासमा कराने के सम्बन्ध में कमला बनाम नारायण के नाम से एसीएम निवाई में दावा करवा रखा है, जिसमें इन जितेन्द्र सिंह जी पटवारी ने हमारे से एक लाख रूपये लेकर मौका रिपोर्ट तैयार कर करीब एक माह पहले पीडी रिपोर्ट भिजवा दी थी, परन्तु अभी तक भी डिग्री नहीं हो रही थी, बार–बार तारीख दी जा रही थी, जिस पर मैनें इन जितेन्द्र जी से सम्पर्क किया तो इन्होने निर्णय (डिग्री) करवानी की एवज में सहायक कलेक्टर निवाई के लिए एक लाख रूपये की मांग की तथा आज सवेरे जब मैनें इनसे वार्ता की तो डेढ़ लाख रूपये की मांग की, इनकी मांग के अनुसार ही मैनें अभी इन्हें 60 हजार रूपये दिये है, जो इन्होनें 1,50,000/– रूपये समझ कर रख लिये।" इस पर आरोपी श्री जितेन्द्र ने बताया कि "मेरी एसीएम मैडम से वार्ता नहीं हुयी थी, मेरी ओमप्रकाश सिंह नायब तहसीलदार साहब निवाई से बात हुयी थी, उन्होनें ही डिग्री जारी करवाने की एवज में एसीएम मैडम के लिए रूपये मांगे थे, मैं यह रूपये ओमप्रकाश सिंह को ही देता।" इसके पश्चात् गवाह श्री राजकुमार सोनी से वाहन के डेस्कबोर्ड को खुलवाकर दिखवाया गया तो उसमें एक अखबार (दैनिक भास्कर 17 मई 2022) में कुछ लिपटा हुआ दिखाई दिया, उक्त अखबार को खोलकर दिखवाया गया तो उसमें 500–500 रूपये के नोटों में लिपटे हुये कुछ रूपये दिखाई दिये, नोटों को गवाहों से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये 12 नोट एवं 200–200 रूपये 270 नोट कुल 60,000 रूपये होना पाये गये। नोटों के नम्बर निम्नानुसार है

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4HN	227029
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1AM	352608
3.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8CE	357609
4.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8AP	732801
5.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6AV	232861
6.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5FB	159353
7.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5HC	627480
8.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0EE	569300
9.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7BU	181494
10.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3CK	141796
11.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0LT	157083
12.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AH	641249
13.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6HB	648709
14.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4CK	689798
15.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0LD	750457
16.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9FP	195926
17.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0AB	205373
18.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0BA	836373
19.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8DU	739064
20.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9HG	666610
21.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5AH	341391
22.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8AN	606173

23.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AK	523421
24.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6LC	580427
25.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4AL	894520
26.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7DC	894895
27.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1CQ	699973
28.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AE	692752
29.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AH	641250
30.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4AH	079450
31.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6AA	719692
32.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6ED	322678
33.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6CV	568749
34.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0CC	428650
35.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4DW	763004
36.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5CG	689402
37.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1BA	052531
38.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9CA	022227
39.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AC	143479
40.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8BH	230940
41.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9BW	223290
42.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5CG	562117
43.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7CE	379199
44.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1GV	392403
45.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2FV	469761
46.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1FM	728292
47.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6EM	363323
48.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8KC	659632
49.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1AL	833843
50.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0AW	275396
51.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4AT	148738
52.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0CW	130507
53.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9DK	052782
54.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9FH	845634
55.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1CP	193105
56.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8LF	046490
57.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4GA	820839
58.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6DS	220154
59.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9EC	837923
60.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8EP	048042
61.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AK	166043
62.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5AK	873936
63.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1AC	858617
64.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0FW	950979
65.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1GE	536560
66.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6EB	686505
67.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3KD	039165

68.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8KF	205236
69.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7KF	510627
70.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9HH	053632
71.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7BC	501137
72.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0BD	190717
73.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4DB	214540
74.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4CV	137316
75.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1BW	429205
76.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0KA	290218
77.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3AC	711943
78.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1AH	993954
79.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6DK	946138
80.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3EU	067283
81.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9DC	456564
82.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2BG	296451
83.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9GD	564192
84.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7KA	941800
85.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2CQ	977513
86.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7BH	716939
87.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0EN	961493
88.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1AA	904006
89.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8AC	630734
90.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6DT	347453
91.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6ER	789432
92.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4AQ	808811
93.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8UB	081883
94.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6GW	856604
95.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5DU	459276
96.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7US	156496
97.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8AR	018784
98.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0BD	774451
99.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6AP	134484
100.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7AP	483268
101.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4KF	114371
102.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0HQ	082779
103.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3AN	695985
104.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5HG	280655
105.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1AD	318877
106.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7BL	286591
107.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8BF	424599
108.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7AU	533459
109.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7EQ	505828
110.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9DB	098808
111.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2EC	942209
112.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2BB	639638

113.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6FB	527108
114.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7BH	419260
115.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2CK	240599
116.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0MB	661536
117.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2AN	352056
118.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5DK	174027
119.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7EC	490903
120.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5BG	944941
121.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7AQ	735136
122.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8CV	513940
123.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7BA	352688
124.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6GQ	070881
125.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3HN	870390
126.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5HM	525349
127.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9DV	565944
128.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3GP	736245
129.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7FN	968210
130.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0AQ	688391
131.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0AQ	922802
132.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2AC	200287
133.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2AL	262274
134.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3AE	264829
135.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1FU	146807
136.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2AL	588234
137.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7EA	660411
138.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AL	681333
139.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2AD	004224
140.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8DU	799184
141.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7BQ	839667
142.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0AS	254435
143.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4GQ	136832
144.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5CN	342536
145.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9BN	122478
146.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5DT	334403
147.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1CF	363563
148.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4BQ	753381
149.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8FW	891322
150.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8BT	263868
151.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0CW	401323
152.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0CM	611146
153.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5EP	341243
154.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8CV	689173
155.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1BN	470868
156.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7EK	610489
157.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0FM	533665

158.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4AL	454721
159.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0AN	285909
160.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7CR	258550
161.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AQ	489009
162.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2BM	596217
163.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5AH	871172
164.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0GP	624470
165.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9EE	111017
166.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4BN	200683
167.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4AC	916677
168.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0GG	263846
169.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1AS	758669
170.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9BS	764395
171.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3KA	695004
172.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8HU	724691
173.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6AK	229668
174.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7AC	101713
175.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2BR	248345
176.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7HH	854728
177.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5FM	486962
178.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4HP	122532
179.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0EV	274695
180.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0KL	798792
181.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1CU	560546
182.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5EC	530221
183.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9DG	460235
184.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0BB	479349
185.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7GB	907421
186.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5CT	273070
187.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8AL	110493
188.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0WD	202840
189.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5TD	819766
190.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8VL	609137
191.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5CS	158419
192.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2KF	596605
193.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5AK	708127
194.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1EF	151592
195.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AE	132330
196.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AN	566859
197.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2MF	292291
198.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5AH	212433
199.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1BW	957299
200.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8KB	552097
201.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3BC	817711
202.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2DW	537859

203.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0CA	361575
204.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9CV	387657
205.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5EP	853449
206.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8AL	706293
207.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2DQ	915204
208.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4AH	482238
209.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8FU	577549
210.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7KH	327060
211.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1HH	959177
212.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0AL	309241
213.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5CB	706153
214.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0AP	676888
215.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1EV	353571
216.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9DU	116985
217.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3FV	690955
218.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5EV	986831
219.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7NF	454472
220.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9DP	034140
221.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6CM	335173
222.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4HV	789014
223.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9DS	959458
224.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3BS	386226
225.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8BA	572542
226.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5GF	358055
227.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7NC	102763
228.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4DW	542460
229.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7KE	310433
230.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2KC	184758
231.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5CG	535925
232.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1ES	613866
233.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0FC	021553
234.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6BC	865402
235.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6KC	693392
236.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2CD	567274
237.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4NE	084552
238.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1HH	033090
239.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0NN	216313
240.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2CG	533383
241.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5DW	773103
242.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2NE	694181
243.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AS	552161
244.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9BW	883723
245.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3EN	908995
246.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4LD	156458
247.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AQ	938198

248.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6BB	042934
249.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6ER	573478
250.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2EB	734173
251.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0CP	909422
252.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9KA	958861
253.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3AS	070853
254.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4CL	664844
255.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2AM	384539
256.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4KD	087483
257.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5NE	666360
258.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7FS	183563
259.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5ES	053763
260.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9AF	284141
261.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1FM	879206
262.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1HB	036504
263.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	2NC	629771
264.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4CM	203341
265.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4HR	888855
266.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7CD	271214
267.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	3BA	751516
268.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1BC	547514
269.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	1CC	418332
270.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	5BA	658342
271.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6BN	924479
272.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	8AC	463678
273.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7BS	822156
274.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4GS	505226
275.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	0AC	907318
276.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	7BB	148658
277.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	4AA	745422
278.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	9DK	309955
279.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6DS	201505
280.	एक नोट 200 रूपये नम्बरी	6DK	064363
281.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0CF	491942
282.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2AT	972985

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त नोटों को गवाह राजकुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात् मौके पर भीड़भाड को देखते हुये, आरोपी जितेन्द्र के दांये हाथ को कानि0 महेश कुमार से तथा बांये हाथ को हैड कानि0 मनोज कुमार से कलाई के उपर से पकड़वाकर आरोपी को उसके वाहन सहित साथ लेकर हमराहियान के रवाना होकर निवाई बाईपास पहुंचा, तथा वाहन को साईड में लगाकर गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी जितेन्द्र के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर

धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी जितेन्द्र के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी की गाड़ी वोक्स वेगन पोलो आरजे 14 एलसी 0622 जिसके डेस्कबोर्ड से रिश्वत राशि बरामद हुयी उक्त डेस्कबोर्ड के धोवण हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। डेस्कबोर्ड के उक्त स्थान को रूई के पोहे से साफ कर पोहे को उक्त तैयारशुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क सी–1, सी–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त रूई (कॉटन) को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क–**सी** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। चुकिं आरोपी जितेन्द्र ने उक्त रिश्वत राशि नायब तहसीलदार ओमप्रकाश सिंह हेतु लेना कहा है, एवं नायब तहसीलदार से बात करके उक्त रिश्वत राशि को अभी उसको देना कहा, जिस पर आरोपी जितेन्द्र के मोबाईल नम्बर 9352839966 से ओमप्रकाश सिंह के मोबाईल नम्बर 6350194505 पर सम्पर्क किया तो ओमप्रकाश नायब तहसीलदार ने परिवादी रामकिशोर से रूपये आने की जानकारी मिलने पर कहा कि एसीएम निवाई आज रिलीव हो रही है, तथा स्वयं को बाहर होना बताया। जिस पर आरोपी जितेन्द्र ने परिवादी से पूछा कि रामकिशोर (परिवादी) से प्राप्त रिश्वत राशि को आपको कहाँ पर देना है ? जिस पर आरोपी ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि मैं तो बाहर हुं, घर पर मेरे भाई को दे दो। उक्त वार्ता को वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया जिसकी पृथक से ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गयी। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरोपी जितेन्द्र सिंह एवं हमराहियान का साथ लेकर रवाना होकर जयपुर रोड़, निवाई स्थित आरोपी ओमप्रकाश, नायब तहसीलदार के घर के पास पहुंचे, परन्तु आरोपी ओमप्रकाश के मकान पर ताला लगा होना पाया गया, जिस पर आरोपी जितेन्द्र के मोबाईल से आरोपी ओमप्रकाश को फोन करवाया गया तो ओमप्रकाश सिंह का फोन स्वीच ऑफ होना पाया गया, सम्भवतया आरोपी ओमप्रकाश सिंह नायब तहसीलदार निवाई को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है, इसलिये वो फरार हो गया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहियान को साथ लेकर इस समय पुलिस थाना निवाई पहुंचा, एवं अग्रिम कार्यवाही शुरू की। गवाह श्री राजकुमार के पास सुरक्षित रखी हुयी रिश्वत राशि को फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट रिश्वत राशि से पुनः मिलान किया गया, उक्त रिश्वती राशी के नोटों में से क्र0स0 1 से 94 तक राशि 20 हजार रूपये को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन–1**, क्र0स0 95 से 188 तक राशि 20 हजार रूपये को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन–2**, क्र0स0 189 से 282 तक राशि 20 हजार रूपये को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन–3** अंकित कर कागज पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। जिस अखबार में रिश्वत राशि लपेटकर रखी हुयी थी, उक्त अखबार पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी जितेन्द्र बैरवा से पूछने पर बताया कि रामकिशोर से सम्बन्धित दावा तकासमा 5/19 वादी कमला पुत्री धन्ना ने करवा रखा है, उक्त दावे के सम्बन्ध में पी0डी0 रिपोर्ट जारी करने हेतु मुझे आदेश मिले थे, जिस पर मैनें पी0डी0 रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। दावा 5/19 की फर्द अहकाम एवं

मेरे द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट की प्रति मेरी गाड़ी में ही पड़े है, जिस पर आरोपी की गाड़ी से उक्त दस्तावेजात निकलाकर अवलोकन किया तो पाया गया कि सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई में दावा संख्या 5/19 दावा तकासमा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.01.2019 से चल रहा है, तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 29.07.2021 की पालना में सम्बन्धित पटवारी श्री जितेन्द्र बैरवा ने दिनांक 08.04.2022 को मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवायी हुयी है। उक्त दस्तावेजात पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किये गये। इसके पश्चात् इसी दौरान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी व स्वतंत्र गवाहों को हमराह लेकर घटना स्थल पहुंचकर नक्शा मौका मुर्तिब कर उपस्थित आया। आरोपी जितेन्द्र बैरवा, पटवारी की जेब से एक वीवो कम्पनी का मोबाईल मिला, जिसमें एक सिम जियो कम्पनी मोबाईल नम्बर 9352839966 लगी हुयी है, आरोपी जितेन्द्र बैरवा पटवारी एवं आरोपी ओमप्रकाश सिंह नायब तहसीलदार के मध्य जरिये मोबाईल वार्ता हुयी है, अतः जितेन्द्र बैरवा, पटवारी के उक्त मोबाईलों को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क–**एम** अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। **समय 8.15 पी0एम0 पर** श्री जितेन्द्र बैरवा, पटवारी पटवार हल्का पहाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। **समय 8.40 पी0एम0 पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह एसीबी स्टाफ मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाह तथा आरोपी श्री जितेन्द्र बैरवा मय समस्त आर्टिकल्स् के पुलिस थाना निवाई से एसीबी कार्यालय टोंक हेतु रवाना हुआ। **समय 9.30 पी0एम0 पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह एसीबी स्टाफ मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाह तथा आरोपी श्री जितेन्द्र बैरवा मय समस्त आर्टिकल्स् के एसीबी कार्यालय टोंक पहुंचा, परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहों को सुबह 7 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रवाना किया गया। **समय 10.50 पी0एम0 पर** आरोपी को स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली छुडवाया गया। **समय 11.15 पी0एम0 पर** ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स जरिये मोहम्मद जुनैद है0कानि0 32 के जमा मालखाना करवाया गया। **दिनांक 10.06.2022 समय 7 ए0एम0पर** परिवादी रामकिशोर एवं स्वतंत्र गवाह उपस्थित आये, अतः सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। **समय 8.30 ए0एम0 पर** रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर दिनांक 09.06.2022 को परिवादी व आरोपीगणों के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू/टेलिफोनिक वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की। **समय 9.30 ए0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 4 पेन ड्राईव में कॉपी कर 3 पेन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2,ए–3** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। **समय 9.45 ए0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 8–8 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क "एम–1" अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। **समय 10.00 ए0एम0** पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की

सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया। **समय 10.20 ए0एम0 पर** सम्बंधित मालखाना बतौर वजह सबूत जरिये मोहम्मद जुनैद हैं0कानि032 के जमा मालखाना करवाया गया। समय 11.30 ए0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता का पेन ड्राईव तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री जितेन्द्र बैरवा, पटवारी पटवार हल्का पहाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु आरोपी श्री ओमप्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार निवाई से आपस में मिलीभगत कर परिवादी श्री रामकिशोर मीणा की जमीन का तकासमा (बंटवारा) के दावे में फैसला पक्ष में करवाने की एवज में वक्त मांग सत्यापन 1,50,000 रूपये की मांग कर अपनी मांग के अनुसरण में आज दिनांक 09.06.2022 को 60 हजार रूपये प्राप्त किये, जो रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 एवं 120 बी ता0हि0 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः 1. श्री जितेन्द्र बैरवा पुत्र श्री प्रहलाद बैरवा उम्र 37 साल निवासी मजदूर बस्ती, वनस्थली विद्यापीठ निवाई जिला टोंक, हाल पटवारी पटवार हल्का पहाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक एवं 2. श्री ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री शिवदास सिंह ग्राम पोस्ट शिवाड़ तहसील व जिला सवाईमाधोपुर हाल नायब तहसीलदार कार्यालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), निवाई जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

(राजेश आर्य)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1- श्री जितेन्द्र बैरवा, हाल पटवारी, पटवार हल्का पहाड़ी, तहसील निवाई, जिला टोंक एवं 2- श्री ओमप्रकाश सिंह, हाल नायब तहसीलदार, कार्यालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), तहसील निवाई, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 229/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2015-20 दिनांक 10.06.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निबंधक महोदय राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. जिला कलक्टर, टोंक।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

10.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।